मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांकः 14.10.2023

थाना जिगना पुलिस द्वारा ₹ 25 हजार का ईनामिया पशु तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'अभिनन्दन' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा वांछित/पुरस्कार घोषित/ईनामियां/गो-तस्करी के अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना जिगना पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांकः 13.11.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना जिगना पुलिस टीम द्वारा थाना जिगना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-71/2023 धारा 3/5ए/8 गो-वध, 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का वांछित व ₹ 25 हजार के ईनामियां अभियुक्त बबुन्दर खरवार पुत्र स्व रामविलाश खरवार निवासी ग्राम चौरा थाना माची जनपद सोनभद्र को थाना जिगना क्षेत्र से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त बबुन्दर खरवार उपरोक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त पुलिस मुठभेड़ व गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जिगना पर मु0अ0सं0-163/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

बबुन्दर खरवार पुत्र स्व रामविलाश खरवार निवासी ग्राम चौरा थाना माची जनपद सोनभद्र।

विवरण बरामदगी —

एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस।

आपराधिक इतिहास —

1. मु0अ0सं0 71/23 धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधि0 व 11पशु क्रुरता अधि0थाना जिगना मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0 163/23 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/25 आर्मस एक्ट थाना जिगना मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

- प्रभारी निरीक्षक थाना जिगना- चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मय पुलिस टीम।